









प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 14.04.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 101/24 से सम्बन्धित फरार अभियुक्त अमर जाटव द्वारा षणयंत्र के तहत पैर में गोली मारकर फर्जी घटना बनाकर घटना में प्रयुक्त तमंचा व खोखा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 101/24 धारा 195/201/211/120 बी भादवि से सम्बन्धित फरार अभियुक्त अमर जाटव को गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमर जाटव पुत्र वीरेंद्र जाटव निवासी निनौआ थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण: दिनांक 11.04.2024 को पंजीकृत मु0अ0सं0-101/24 धारा 307/323/504/506

भादवि से सम्बन्धित वादी मुकदमा आकाश कटियार पुत्र कप्तान सिंह निवासी निनौआ थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ द्वारा 01. वैभव कटियार पुत्र नामालूम 02. ऐश्वर्य कटियार पुत्र नामालूम 03. एक व्यक्ति नाम व पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया था, जिसमें दौराने विवेचना तथ्य सामने आया कि वादी आकाश कटियार उपरोक्त का विपक्षी वैभव कटियार आदि से मुकदमे वाजी को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। मुकदमों में राजीनामा के लिये दवाब बनाने हेतु वादी आकाश कटियार ने अपने भाई मोनू उर्फ अमन कटियार व साथी अमर जाटव के साथ मिलकर अपने पैर में षडयंत्र के तहत गोली अमर जाटव से चलवाकर झूठी घटना बनाकर पंजीकृत कराना पाया गया।

तदोपरान्त मुकदमा उपरोक्त को धारा- 195/201/211/120 बी भादवि बनाम प्रकाश में आये 01.आकाश कटियार पुत्र कप्तान सिंह 02. मोनू कटियार पुत्र कप्तान सिंह 03. अमर जाटव पुत्र वीरेंद्र निवासीगण निनौआ थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में तरमीम किया गया तथा अभियुक्त 1.आकाश व 2. मोनू कटियार उपरोक्त को दिनांक 12.04.2024 को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियोग में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त अमर जाटव उपरोक्त को फर्जी घटना में प्रयुक्त 01 अदद देशी तमंचा जिसमें खोखा कारतूस फंसा हुआ 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अमर जाटव पुत्र वीरेंद्र जाटव निवासी निनौआ थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ने पूछने पर बताया कि साहब दिनांक 10.4.2024 को आकाश कटियार का उसके विपक्षी वैभव आदि से कचहरी में विवाद हुआ था, इसीलिये वैभव आदि को झूठे मुकदमें में जेल भिजवाने के उद्देश्य से आकाश कटियार व उसके भाई मोनू कटियार के साथ षडयंत्र कर आकाश कटियार के पैर में गोली मारकर पुलिस को 307 का मुकदमा लिखाने हेतु झूठी सूचना दी गयी थी कि पुलिस वैभव आदि को जेल भेज दे, जिससे आकाश कटियार के विरुद्ध जो मुकदमें गाजियाबाद में वैभव ने लिखाये हैं, उनमें राजीनामा हो जाये, आकाश कटियार ने स्वयं अपने पैर में गोली मारकर तमंचा मुझे दे दिया था, जिसको मैंने स्कूल के पास झाड़ियों में छिपा दिया था, जो मैंने आपको बरामद करा दिया है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोरा
2. 01 अदद खोखा कारतूस फंसा हुआ 315 बोरा

अभियुक्त अमर जाटव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 101/24 धारा 195/201/211/120 बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 273/2021 धारा 147/323/342/504 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस :-

1. उ0नि0 सुरजीत सिंह थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. का0 मोहित कुमार थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।







GPS Map Camera



संकिसा बसंतपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

87WJ+H63, संकिसा बसंतपुर, पुन्यल पुर, उत्तर प्रदेश 209652, भारत

Lat 27.346613°

Long 79.280387°

14/04/24 07:00 PM GMT +05:30



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

4/14/24
7:01 PM